(85)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 2017निगरानी

III/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/6028

श्री .... द्वारा आज दि 11-12-017 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-12-17 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

15-12-17

सौरभ शर्मा पुत्र श्री सतशरण शर्मा आयु 24 साल , व्यवसाय विधार्थी निवासी ग्राम जौहा तहसील अम्बाह जिला मुरैना म.प्र

...... आवेदक

बनाम

1. रामलखन पुत्र रामप्रकाश
2. रामहरि पुत्र श्रीरामनाथ **शर्मा**

समस्त निवासीगण **ग्राम** जौहा तहसील अम्बाह जिला **मुरैना** म.प्र.

..... आवेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/ 2016-17 / अ- 6 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं 17.11.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत **है**:-

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ नयायालय के **समक्ष** आवेदन पत्र अंतग्रत धारा 110 म.प्र. भू राजस्वसंहिता का प्रस्तुत किया कि मौजा जौहा की भूमि सर्वे क्रमांक 1160 रकवा 0.58 , 1162 रकवा 0.27 , 1173 **रकवा** 0.66 , 2209 रकवा 0.07 , 2210 रकवा 0.30 , 2286 रकवा 0.20 , 2292रकवा 0.30 , 2298 रकवा 0.60, 2292

XXIX(a)-BR(H)-11

(88)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/6028

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	